

सहायक कलेक्टर (मु.) सीकर
पिपित

बनाम

दिनेश कान्ति

T/

34/2016

अधिकार ले लब्धियत भूल दावा
दावा नं. 51/2016 अन्वयि विधि
बनान दिवसे लाल कान्ति को (व्यक्ति
विला है। ऐसी प्रति में यह कान्ति पत्र
कलकत्ता धारा 212 अन्वयत कायकाते
अधिकार प्राप्त हो चुका है। इसे
कोय प्रमाण पत्र का कोई कान्ति
नही है। अतः कान्ति पत्र कलकत्ता
धारा 212 अन्वयत कायकाते अधिकार
सारहीत होने से खारिज किया जाता है।
पत्रावली में फल शुका (दोकाकाट कायकाते)
आविल उल्लेख हो।

सहायक कलेक्टर (मु.)
सीकर

निर्णय कायकाते दिनांक 10-10-2017
को अरे इपलाक पुनाना गान्हा।

सहायक कलेक्टर (मु.)
सीकर